

29.4.2022

वकील कवीनेन उपस्थित महल वकील
 उक्त पत्र सुनी गयी एतद्वारा कवीनेन
 प्रार्थी वतासा व रंजम सिंह गैर हायलाइट
 कोर्ट के कोई कवायद का प्रार्थना पत्र से
 उत्तर नही दिया गया है। एवं हायल्ट एवं
 उपस्थित नही हुआ। एतद्वारा पत्र नही
 की प्रार्थी तद्वारा कवीनेन द्वारा पत्र नं
 2190 दिनांक 29.7.2021 एवं प्राप्त हो चुकी
 है। यदि हायल्ट प्रार्थी वतासा व रंजम सिंह
 को पत्र नही व नम्रता इस से कोर्ट
 को पत्र नही उसके लिये तद्वारा कवीनेन
 सुनिश्चित करण का पत्र सक्षम न्यायालय से
 उत्तर करण चाहिये था। उक्त पत्र नही
 में एतद्वारा उत्तर कवीनेन को कोर्ट को
 प्रतीत नही होगा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी
 वतासा व रंजम सिंह गैर हायलाइट एवं
 हीन व सार हीन होने से एतद्वारा
 किया जाय है। पत्र नही के लिये
 होकर नम्रता से कमी होकर वाद
 तद्वारा दायित्व दायर है।

न्यायालय
 कवीनेन (राज्य)

